भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 704
दिनांक 07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

झांसी अस्पताल में आग लगने की घटना

†704. **श्री सुदामा प्रसाद:**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 15 नवंबर, 2024 को झांसी अस्पताल में हाल ही में आग लगने की घटना के मद्देनजर बच्चों की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य से पूछताछ की है;
(ख) यदि हां, तो जांच का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार को उक्त त्रासदी के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है;
(घ) यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में कोई कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार बच्चों से संबंधित अस्पतालों के संबंध में कोई दिशानिर्देश लाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है और यह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में अग्नि सुरक्षा सहित सुरक्षा मानदंडों का पालन सुनिश्चित करें। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश ने सूचित किया है कि उसने अपने नियंत्रण में आने वाले कॉलेजों/संस्थानों को समय-समय पर अग्नि और विद्युत सुरक्षा ऑडिट करने और आपात स्थिति के दौरान महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रतिष्ठानों को संभालने के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए सलाह/निर्देश जारी किए हैं।

(ङ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने विभिन्न हितधारकों के परामर्श से सरकारी अस्पतालों में आग और जीवन सुरक्षा के संबंध में स्थिति की समीक्षा की थी और व्यापक जांच के बाद, 'अग्नि और जीवन सुरक्षा' संबंधी दिशानिर्देश तैयार किए गए और इस मंत्रालय के दिनांक 28.09.2020 के पत्र के माध्यम से देश भर के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों और सरकारी अस्पतालों को प्रसारित किए गए।

हाल ही में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा के मुद्दे पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श, चेकलिस्ट जारी की है, जिसमें निम्नलिखित की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है:

i. सभी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों की अग्नि रोकथाम और अनुक्रिया योजनाओं की समीक्षा और अद्यतनीकरण तथा सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा प्रोटोकॉल, निकासी प्रक्रियाओं और अग्निशमन उपकरणों के उपयोग पर प्रशिक्षण देना

ii. निकासी योजनाओं सहित नियमित निवारक अग्नि सुरक्षा अभ्यास आयोजित करना।

iii. उचित अग्नि रोकथाम उपायों का कार्यान्वयन और रखरखाव, जैसे कि विद्युत सर्किट और प्रणालियों का नियमित और इष्टतम निवारक रखरखाव।

iv. अग्नि संसूचन एवं शमन प्रणालियों की स्थापना एवं इष्टतम रखरखाव, जिसमें धुआं अलार्म, समाप्ति तिथि की नियमित जांच के साथ अग्निशामक यंत्र, स्प्रिंकलर आदि शामिल हैं।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां गठित करने का भी आग्रह किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाओं और लोक निर्माण विभागों के संबंधित अधिकारी शामिल होंगे, जो स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों का भौतिक निरीक्षण करेंगे और कानून के तहत आवश्यकतानुसार चूककर्ताओं के खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे।

*****